राहत ◆ चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा

चीनी निर्यात के लिए अधिसूचना जारी

अक्टूबर तक मिलों पर चीनी निर्यात के लिए कोई मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं

प्रेट्र • नई दिल्ली

सरकार ने चीनी के मुक्त निर्यात के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। खाद्य मंत्रालय ने ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के तहत चीनी निर्यात की अधिसूचना जारी की है। इसमें मिलों पर निर्यात के लिए कोई मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं होगा। 11 मई से लागू इस व्यवस्था के तहत मिलों को चीनी निर्यात के लिए कोई रिलीज ऑर्डर भी नहीं लेना होगा।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई अंतरमंत्रालयीय बैठक में इस संबंध में फैसला किया गया था। मिलों को चालू मार्केटिंग वर्ष 2011-12 के अंत तक यानि सितंबर तक चीनी निर्यात के लिए मिलों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। मंत्रालय ने कहा है कि नए आदेश के दायरे में से उस चीनी निर्यात को बाहर रखा गया है, जिसके लिए कोटा व्यवस्था के तहत रिलीज ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं। ईजीओएम ने 26 मार्च को दस लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दी थी।

हालांकि यह चीनी भी ओजीएल में विदेश में बेची जा रही है। मंत्रालय के अनुसार नए आदेश में मिलों को निर्यातकों को निर्यात के बारे में जानकारी तीन दिन के भीतर मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी।

सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के साथ ही मिलों को चीनी निर्यात करने की अनुमति मिल गई है। हालांकि मिलों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रह गई है क्योंकि इस समय विश्व बाजार में भी चीनी के भाव काफी कम चल रहे हैं। लेकिन विदेशी बाजार में भाव सुधरने पर मिलें चीनी का निर्यात कर सकेंगी। इससे मिलों को किसानों को गन्ने का बकाया भुगतान करने में मदद मिलेगी। मिलों पर किसानों का करीब 10 हजार करोड़ रुपये का भुगतान बाकी है।

नई व्यवस्था

11 मई से लागू इस व्यवस्था के तहत मिलों को चीनी निर्यात के लिए कोई रिलीज ऑर्डर भी नहीं लेना होगा। मिलों को चालू मार्केटिंग वर्ष 2011-12 के अंत तक यानि सितंबर तक चीनी निर्यात के लिए मिलों पर कोई पाबंदी नहीं होगी।

Business Bhaskar
15/5/12